

C.J.(H)

नीलामी का विज्ञापन

नीलामी दिनांक 12.03.2025

(सिविल प्रोसीजर कोड, सन् 1908 ई.आर्डर 21 रुल 66)

कार्यालय आदेश क्रमांक 10 दिनांक 22.01.25

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, अनूपपुर (म.प्र.)

यह सूचना दी जाती है कि, इस कार्यालय के अनुपयोगी वाहन क्रमांक—एम.पी.—02 ए.व्ही.—3025 “टाटा इंडिगो (मॉडल 2010)” का विक्रय करने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा आदेश दिया गया है।

विक्रय लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा और सम्पत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखी जाएगी।

जब तक मुल्तवी करने का आदेश न किया जाए यह विक्रय तारीख 12/03/25 को 11.00 बजे स्थान—कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म.प्र.) के प्रागंण में प्रारम्भ होने वाले विक्रय में जिला नाजिर/विक्रय अमीन नजारत अनुभाग, अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा स्थापना की नीलामी समिति के समक्ष किया जाएगा।

विक्रय में सर्वसाधारण को या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए निमन्त्रित किया जाता है। विक्रय की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित हैं :—

// विक्रय की शर्तें //

1. निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां जिला न्यायालय शहडोल की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखी गई हैं, किन्तु इस उद्घोषणा में किसी गलती, अशुद्ध कथन या लोप के लिए जिला न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जितनी से बोलियां बढ़ाई जानी है विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएंगी। यदि लगाई गई बोली की रकम के बारे में या बोली लगाने वाले के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो वह लाट तुरन्त पुनः नीलाम पर चढ़ाया जाएगा।
3. किसी भी लाट की सबसे ऊँची बोली लगाने वाला व्यक्ति उस लाट का केता घोषित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वह बोली लगाने के लिए वैध रूप से अर्हित हो, यह बात नीलामी समिति के या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगी कि वह सबसे ऊँची बोली को स्वीकार करने से उस दशा में इन्कार कर दे जिसमें लगाई गई कीमत स्पष्टतः इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसे इन्कार करना बांछनीय हो जाता है।
4. विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में यह बात होगी कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे वह विक्रय को आदेश 21 के नियम 69 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्थगित कर दे।
5. जंगम सम्पत्ति की दशा में हर एक लाट की कीमत विक्रय के समय या उसके इतने शीघ्र पश्चात्, जितना विक्रय करने वाला अधिकारी निर्दिष्ट करें, दी जाएगी और और संदाय में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः नीलाम पर चढ़ाई जाएगी और उसका पुनः विक्रय किया जाएगा।

6. रथावर सम्पत्ति की दशा में, वह व्यक्ति, जो केता घोषित किया गया है उस घोषणा के पश्चात् अविलम्ब अपने क्रयधन की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी के पास निक्षिप्त कर देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः नीलाम पर चढ़ाई जाएगी और उसका पुनः विक्रय किया जाएगा।
7. केता द्वारा क्रयधन की पूरी रकम सम्पत्ति के क्रय दिन को छोड़कर सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् 15 दिन या यदि पन्द्रहवाँ दिन रविवार हो या अन्य अवकाश दिन हो तो पन्द्रहवें दिन के आगामी कार्यालय खुलने के पहले दिन कार्यालय के बन्द होने के पूर्व संदत्त कर दी जाएगी।
8. क्रयधन की बाकी रकम का संदाय अनुज्ञात अवधि के अन्दर करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति का पुनः विक्रय, विक्रय की नई अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् किया जाएगा। यदि कार्यालय ठीक समझे तो निक्षेप, उसमें से विक्रय के व्ययों को काट लेने के पश्चात् सरकार के पक्ष में समर्पहत कर दिया जाएगा और व्यतिक्रम करने वाले केता के सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिए वह सम्पत्ति बाद में बेची जाए उस राशि के किसी भी भाग पर सब दावे समर्पहत हो जाएंगे।
9. क्रयधन की बाकी रकम का संदाय न किये जाने के दशा में जमा धन वापसी योग्य नहीं रहेगा।
10. उक्त सम्पत्ति के क्रय किये जाने की दशा में 03 दिवस के अन्दर सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाया जाना अनिवार्य रहेगा। सम्पत्ति न उठाये जाने की दशा में कार्यालय को कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
11. उक्त वाहन क्रमांक-ए.पी.-02 ए.व्ही.-3025 “टाटा इंपिडगो (मॉडल 2010)” को क्रय करने के पश्चात् उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा एवं अन्य व्यय का वहन सम्पत्ति क्रयकर्ता को 15 दिवस में किया जाना अनिवार्य रहेगा।

यह आज तारीख १०.०२.२५ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग,
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर (मोप्र०)